ए.

भारत संघ और ए. एन. आर. बनाम

मनप्रित सिंह पूनम ई. टी. सी. (2017 की सिविल अपील संख्या 517-518) 08 मार्च, 2022

बी.

[संजय किशन कौल और एम**.** एम**.** सुंदरेश**,** जे**.** जे**.]**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली (सिविल सेवा) नियम, 2003 -आर. 4,7-वेतन-उन्नयन का लाभ लेने के लिए प्रतिवादी-सेवानिवृत्त द्वारा दावा-आयोजितःयह एक सामान्य कानून है कि एक बार जब कोई अधिकारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो जाता है तो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच न्यायिक संबंध समाप्त हो जाते हैं और ऐसा कर्मचारी अपने अतीत के साथ-साथ भविष्य के अधिकारों, यदि कोई हो, को नियमों-सेवा कानून के बिना आंदोलन करने की कोशिश नहीं कर सकता है।

सी.

डी.

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली (सिविल सेवा) नियम, 2003 -आर. 4,7-सेवाकालीन प्रतिवादी द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से इस प्रकार दी गई पदोन्नति के प्रभाव की मांग करने वाला दावा-आयोजितःकेवल रिक्ति का अस्तित्व किसी कर्मचारी के पक्ष में पूर्वव्यापी पदोन्नति का अधिकार नहीं बनाएगा जब पदोन्नति पद में रिक्तियों को नियमों के तहत विशेष रूप से निर्धारित किया गया है-चूंकि प्रतिवादी-सेवा को विभाग पदोन्नति समिति द्वारा सफल विचार के बाद पदोन्नति दी गई थी, इसलिए अपीलार्थी ने नियमों-सेवा कानून के अनुसार वास्तविक रिक्ति के वर्ष के साथ पदोन्नति को सही ढंग से निर्धारित किया।

ई.

एफ.

सेवा कानूनःपदोन्नति-नियमों के दो सेट की प्रयोज्यता में अंतर-पदोन्नति और बाद के लाभों और वरिष्ठता का अधिकार केवल उक्त पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले नियमों के संबंध में उत्पन्न

होगा, न कि नियमों का एक अलग सेट जो आगे की पदोन्नति को सुविधाजनक बनाने वाले पदोन्नत पद पर लागू हो सकता है जो नियमों के विभिन्न सेट द्वारा शासित है।

जी.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** विभेदक वेतनमान के साथ-साथ चयन की प्रक्रिया के लिए उपयुक्तता निर्धारण पात्रता मानदंड ए कारक हैं।

एच.

764

765

भारत संघ और ए. एन. आर. बनाममनप्रित सिंह पूनम ई. टी. सी.

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई विशेष पद दूसरे के समान है या प्रचारात्मक है।इस तरह के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नियम स्वयं विशिष्ट हैं।जब नियम विशिष्ट और स्पष्ट होते हैं, तो व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं होती है जिससे न्यायिक विधान का मामला हो सकता है।अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन कि कैट का तर्क, हालांकि चुनौती नहीं दिया गया है, अस्थिर है, क्योंकि दायर किए गए आवेदनों को खारिज करने के साथ इसे चुनौती देने का कोई अवसर नहीं है, भी अच्छा है।**[**पैरा **13] [771-**जी-एच**; 772-**ए-बी**]**

बी.

2. यह एक सामान्य कानून है कि एक बार जब कोई अधिकारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो जाता है, तो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच "सुनहरे हाथ मिलाने" का सहारा लेते हुए न्यायिक संबंध समाप्त हो जाते हैं।ऐसा पूर्व कर्मचारी नियमों के बिना अपने अतीत के साथ-साथ भविष्य के अधिकारों, यदि कोई हो, को उत्तेजित करने की कोशिश नहीं कर सकता है।इसमें बढ़े हुए वेतनमान को शामिल किया जाएगा।**2017** की सिविल अपील **No.517** में प्रत्यर्थी पर **2012** में डी. पी. सी. में उचित रूप से विचार नहीं किया गया था क्योंकि वह अब प्रासंगिक समय पर सेवा में नहीं था।उच्च न्यायालय ने एक परिपत्र पर भरोसा करने में त्रुटि की है, जिसे कोई आवेदन नहीं मिला है, विशेष रूप से इस निष्कर्ष के आलोक में कि न्यायालय किसी भी प्रकृति के उन्नयन के खिलाफ पदोन्नति के मामले को सरल बना रही है।**[**पैरा **16] [774-**सी-डी**]**

सी.

डी.

3. तथ्यों पर**,** इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि **2017** की सिविल अपील में प्रत्यर्थी को डी**.** पी**.** सी**.** द्वारा सफल विचार के बाद पदोन्नति दी गई थी। इस तरह की मंजूरी पर अपीलार्थी ने नियमों के अनुसार वास्तविक रिक्ति के वर्ष के साथ पदोन्नति को सही ढंग से निर्धारित किया है।इस प्रकार**,** प्रत्यर्थी न तो तथ्यों पर और न ही कानून पर पूर्वव्यापी पदोन्नति का दावा कर सकता है**,** और वह भी वर्ष **2009** से जिसमें उसे एक काल्पनिक रिक्ति के खिलाफ चयन सूची में रखा गया था**,** विशेष रूप से जब तत्कालीन मौजूदा रिक्ति केवल वर्ष **2011** में अर्जित हुई थी**,** जब जेएजी**-I** अधिकारियों को वास्तव में आईएएस में शामिल किया गया था**,** जिसके खिलाफ उन्हें पदोन्नत किया गया था।इस प्रकार**,** पदोन्नति को पूर्वव्यापी रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता है और काल्पनिक रिक्ति की तारीख से लाभ और वरिष्ठता देने के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता है**,** जिससे **2003** के नियमों के नियम **4** और **7** में हिंसा होती है।केवल रिक्ति का अस्तित्व किसी कर्मचारी के पक्ष में पूर्वव्यापी पदोन्नति का अधिकार नहीं बनाएगा जब पदोन्नति पद में रिक्तियां नियमों के तहत विशेष रूप से निर्धारित की जाती हैं**,** जो अनिवार्य भी है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

ए.

चयन प्रक्रिया के माध्यम से मंजूरी।पदोन्नति के मामले से निपटने के दौरान**,** नियमों के दो अलग**-**अलग समूहों के बीच कभी भी समानता नहीं हो सकती है।दूसरे शब्दों में**,** पदोन्नति और बाद के लाभों और वरिष्ठता का अधिकार केवल उक्त पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले नियमों के संबंध में उत्पन्न होगा**,** न कि नियमों का एक अलग समूह जो आगे की पदोन्नति को सुविधाजनक बनाने वाले पदोन्नत पद पर लागू हो सकता है जो नियमों के एक अलग समूह द्वारा शासित होता है।वर्तमान मामले में**,** नियमों के भीतर कार्य करने वाले प्राधिकरण ने **17.04.2012** पर डी**.** पी**.** सी**.** की मंजूरी के बाद **01.07.2011** से प्रभावी पदोन्नति प्रदान की है**,** जब वास्तविक रिक्तियां उत्पन्न हुईं**,** जो किसी भी मामले में **2017** की सिविल अपील **No.518** में प्रत्यर्थी को दिया गया लाभ है।वास्तविक रिक्तियां उत्पन्न होने की तारीख से पूर्वव्यापी पदोन्नति देने के अधिकार द्वारा शक्ति का यह प्रयोग वस्तुनिष्ठ विचारों और एक वैध वर्गीकरण पर आधारित है।**[**पारस **17,18] [774-**ई**-**एच**; 775-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

भारत संघ बनाम के. के. वढेरा और अन्य, **[1989]** पूरक **2**

एससीसी 625:[1989] 1 पूरक।एस. सी. आर. 751; गंगा विशन

डी.

गुजराती और ओआरएस. वी.राजस्थान राज्य, **(2019) 16** एससीसी **28:[2019] 11** एस. सी. आर. **444;** अजय कुमार शुक्ला और अन्य।

v. अरविंद राय और अन्य। 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1195-पर निर्भर

संदर्भित निर्णय

ई.

[1989] 1 पूरक।एससीआर **751** पर निर्भर

पैरा **19**

[2019] 11 एससीआर **444**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **20**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2017 की सिविल अपील संख्या 517-518।

एफ.

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 05.12.2014 से लिखित याचिका (C) Nos.8494 और 2014 के 8516 में।सुश्री रेखा पांडे, सुमित तेतरवाल, सुश्री स्निधा मेहरा, सुश्री प्रेरणा कुमारी, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।सुश्री बीनू टम्टा, सुश्री अवनीश अहलावत, डॉ. मोनिका गुसैन, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

जी.

एच.

767

भारत संघ और ए. एन. आर. बनाममनप्रित सिंह पूनम ई. टी. सी.

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. एम. सुंदरेश, जे.

1. ये अपीलें उत्तरदाताओं द्वारा उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाती हैं, जिसमें दो आधारों पर चुनौती दी जाती है, अर्थात्:-

बी.

आई. एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त व्यक्ति बिना नियमों के अधिकार के मामले में पदोन्नति की मांग नहीं कर सकता है।

ii.पदोन्नति पर विचार करने में केवल देरी से किसी ऐसे पद पर निहित अधिकार पैदा नहीं होगा जो संख्या के संदर्भ में अधिकतम समायोजन की मात्रा निर्धारित करता है, जिसमें उपयुक्तता की प्रक्रिया शामिल है।

सी.

संक्षिप्त तथ्यः

2. हमसे पहले दोनों उत्तरदाताओं ने कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-II (इसके बाद "जेएजी-II" के रूप में संदर्भित) अधिकारियों के पद पर रहने वाले अपीलार्थी के साथ काम किया।2017 की सिविल अपील No.517 में प्रत्यर्थी वर्ष 2010 में स्वेच्छा से उक्त क्षमता में सेवानिवृत्त हुए। 2017 की सिविल अपील में प्रत्यर्थी को तदर्थ आधार पर जूनियर के रूप में पदोन्नत किया गया था

डी.

प्रशासनिक ग्रेड-I (इसके बाद "जेएजी-I" के रूप में संदर्भित) आदेश द्वारा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नियम 4 के अनुरूप रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद, दिनांक 27.12.2011 और दिनांक 17.04.2012 अधिसूचना के माध्यम से 01.07.2011 से नियमित किया गया।

ई.

दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली (सिविल सेवा) नियम, 2003 (इसके बाद '2003 नियम' के रूप में संदर्भित) जो 10 प्रतिशत निर्धारित करता हैः

जे. ए. जी.-I के संवर्ग में सेवा में पदों की कुल स्वीकृत संख्या का अधिकतम।2003 के नियमों को अधिसूचना दिनांक 01.10.2009 के माध्यम से संशोधित किया गया था और स्वीकृत संख्या को बढ़ाकर 472 कर दिया गया था। 3.प्रतिवादियों ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के समक्ष अलग-अलग आवेदन दायर किए।यह मानने के बावजूद कि जे. ए. जी.-I का पद न तो पूरी तरह से प्रचारात्मक है और न ही उन्नयन, आवेदनों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि 2003 के नियमों के नियम 4 और 7 को संयुक्त रूप से पढ़ने से दी जा रही राहत को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

एफ.

जी.

4. प्रत्यर्थियों ने कैट के उपरोक्त निर्णय पर आरोप लगाते हुए रिट याचिकाएं दायर कीं, जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ यह मानते हुए अनुमति दी गई थी कि 2017 की सिविल अपील में प्रत्यर्थी परिपत्र No.AB.14017/47/2011-EST (डी. आर.) दिनांक 01.08.2012 के संदर्भ में राहत का हकदार है।

एच.

768 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 2 एस. सी. आर.

ए.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी. ओ. पी. टी.) द्वारा, जो सुविधा प्रदान करता है

एक सेवानिवृत्त अधिकारी जो अन्यथा नियत तिथि पर "वेतन-उन्नयन" के लाभ के लिए विचार किए जाने के योग्य है।2017 की सिविल अपील No.518 में प्रत्यर्थी के मामले में, उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि अधिकारी को लंबे समय तक पदोन्नति के लिए विचार किए बिना रखने के बाद, 01.07.2011 से प्रभावी पदोन्नति देने के निर्णय के साथ, इसे 01.10.2009 से अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है।इस प्रकार, दोनों रिट याचिकाओं को उच्च न्यायालय का समर्थन मिला।उपरोक्त आदेशों को स्वीकार करते हुए, अपीलार्थियों ने वर्तमान अपील दायर की।

बी.

तर्कः

5. अपीलार्थियों की विद्वान अधिवक्ता सुश्री रेखा पांडे, 2017 की सिविल अपील में प्रत्यर्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अवनीश अहलावत और 2018 की सिविल अपील संख्या 518 में व्यक्तिगत रूप से पक्षकार को सुना। 6.अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने 2017 की सिविल अपील में प्रत्यर्थी श्री एम. एस. पूनम के पक्ष में राहत देने में एक मौलिक त्रुटि की, जो वर्ष 2010 में स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए थे, जबकि 2011 में आई. ए. एस. में 'जे. ए. जी.-I' अधिकारियों की पदोन्नति के आलोक में रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पदोन्नति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने सर्कुलर नं. AB.14017/47/2011-EST (डी. आर.) दिनांकित

सी.

डी.

ई.

01.08.20212 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया

(डी. ओ. पी. टी.), जिसे केवल उन्नयन सरलीकरण के लिए लागू किया जा सकता है।कैट के निष्कर्ष को चुनौती देने की कोई आवश्यकता नहीं है जब दायर किए गए आवेदन खारिज कर दिए गए थे।

7. चूंकि पदोन्नति के पद पर कोई निहित या उपार्जित अधिकार नहीं है, इसलिए वर्ष 2009 के लिए वास्तव में कोई रिक्तियां नहीं होने के कारण भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई. ए. एस.) संवर्ग के अन्य अधिकारियों का स्थानांतरण वर्ष 2011 में ही हुआ।इस प्रकार, 2003 के नियमों के नियम 4 और 7 द्वारा लाए गए प्रतिबंध से इस तरह की राहत नहीं मिलेगी।

एफ.

भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम 1954 और आई. ए. एस. (वरिष्ठता विनियम, 1987) के तहत,

जी.

जे. ए. जी.-I से आई. ए. एस. में शामिल किए गए अधिकारियों को उस तारीख से वरिष्ठता मिलती है जिस दिन रिक्ति उत्पन्न होती है, भले ही प्रवेश डी. पी. सी. के अधीन होता है। वर्तमान मामले में विभागीय आयोजन में देरी हुई थी।

समावेशन के लिए पदोन्नति समिति (इसके बाद 'डी. पी. सी.' के रूप में संदर्भित)

जे. ए. जी.-I में जे. ए. जी.-I अधिकारियों की आई. ए. एस. में वास्तविक रिक्ति 2011 में हुई थी, भले ही काल्पनिक रिक्ति 2009 में ही उत्पन्न हुई हो।ए से

एच.

769

भारत संघ और ए. एन. आर. बनाममनप्रित सिंह पूनम ई. टी. सी. [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

जे. ए. जी.-II से जे. ए. जी.-I में पदोन्नति 2003 के नियमों द्वारा नियंत्रित होती है, जो वास्तविक रिक्ति उत्पन्न होने और डी. पी. सी. होने पर पदोन्नति निर्धारित करता है, इस प्रकार, एक अधिकारी को उसके प्रवेश के बाद ही अधिकार प्राप्त होगा और इसलिए, जे. ए. जी.-I अधिकारियों को आई. ए. एस. में शामिल करने के आधार पर केवल चयन सूची में शामिल करने का कोई परिणाम नहीं है।2003 के नियमों के तहत, एक रिक्ति का मतलब एक वास्तविक रिक्ति होगी और विभिन्न नियमों द्वारा शासित एक अलग संवर्ग की चयन सूची में शामिल करने से एक मानित सूची नहीं बनेगी।किसी भी मामले में, तथ्यों के आधार पर, 2017 की सिविल अपील No.518 में प्रत्यर्थी को केवल 27.12.2011 के आधार पर जेएजी-I सेवा में नियुक्त किया

गया था और इसलिए, उक्त संवर्ग में शामिल किए बिना, वह पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ पदोन्नति की मांग नहीं कर सकता है।

बी.

सी.

8. यह आगे प्रस्तुत किया गया कि डी. पी. सी. द्वारा उनकी मंजूरी के बाद 17.04.2012 पर 01.07.2011 से नियमितीकरण हुआ, जो उन्हें प्रदान किया गया एक लाभ है।चूँकि जे. ए. जी.-I के पद में 10 प्रतिशत की अधिकता होगी, उपरोक्त नियम यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि जे. ए. जी.-I जे. ए. जी.-II की फीडर श्रेणी से एक प्रचार पद है जैसा कि 2003 के नियमों के नियम 4.1,7.3,7.4 और 7.5 पर बल देने के अनुरूप अनुसूची I और अनुसूची III के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।

डी.

9. 2017 की सिविल अपील में प्रत्यर्थी के वकील ने प्रस्तुत किया कि जो किया गया है वह केवल एक उन्नयन है और इसलिए, परिणामी लाभ प्रत्यर्थी को भी देना होगा।2017 की सिविल अपील में प्रत्यर्थी श्री सुरेश गुप्ता ने कहा कि किसी को 2003 के नियमों के नियम 4 के परंतुक को देखना होगा और अपीलार्थियोंओं द्वारा की गई देरी के लिए उसे पीड़ित नहीं किया जा सकता है।यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उत्तरदाता वर्ष 2009 की चयन सूची में क्रम संख्या 1 और 2 पर थे, और इस प्रकार, उनकी नियुक्ति 2009 से प्रभावी होनी चाहिए न कि 01.07.2011।

ई.

एफ.

विश्लेषण और निर्णयः

10. प्रस्तुतियों पर विचार करने पर, केवल अनुसूची के साथ उठाए गए मुद्दों को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियमों को रिकॉर्ड पर रखना उचित होगाः

जी.

2003 के नियमों का नियम 4:1:“4.ग्रेड, शक्ति और उनकी समीक्षा।-

(1) विभिन्न श्रेणियों में शामिल कर्तव्य पद, उनकी संख्या और इन नियमों के लागू होने की तारीख को उनसे जुड़े वेतनमान निम्नानुसार होंगे -

एच.

अनुसूची I:बशर्ते कि सेवा में पदों की स्वीकृत संख्या का दस प्रतिशत और बीस प्रतिशत क्रमशः कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-I और चयन ग्रेड के गैर-कार्यात्मक ग्रेड होंगे, और ये अनुसूची I के भाग बी और सी में निर्दिष्ट पदों की संबंधित संख्या के भीतर संचालित किए जाएंगे:बशर्ते कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड I में पदों की संख्या <ID1,000-16,500 के वेतनमान में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में स्वीकृत पदों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी।"

बी.

2003 के नियमों के नियम **7.3,7.4** और **7.5:"7.** सेवा का भविष्य में रखरखाव:-

सी.

XXX

XXX

XXX

(3) जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड-I, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड-II और सिलेक्शन ग्रेड की सभी रिक्तियों को अनुसूची III में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता सेवा के साथ तत्काल संबंधित निचले ग्रेड के अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

डी.

XXX

XXX

XXX

(4) ((a) XXX

XXX

ई.

((b) XXX

XXX

(ग) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-I और चयन ग्रेड में पदोन्नति वरिष्ठता के क्रम में की जाएगी, बशर्ते कि वह अयोग्य न हो।

एफ.

(5) उप-नियम (4) के तहत प्रत्येक मामले में चयन विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर किया जाएगा।"

2003 के नियमों की अनुसूची **I:**

"अनुसूची I

जी.

[नियम 4 (1) देखें]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली सिविल सेवा के श्रेणियों में कर्तव्य पदों के नाम, संख्या और वेतन का पैमाना।

एच.

771

भारत संघ और ए. एन. आर. बनाममनप्रित सिंह पूनम ई. टी. सी. [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

ए.

बी.

2003 के नियमों की अनुसूची **III:**

"अनुसूची III [नियम 7 (3) देखें]

सी.

एस. एल. नहीं।	ग्रेड	पदोन्नति का तरीका	पदोन्नति के लिए पात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड I	विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर अयोग्य की अस्वीकृति के अधीन वरिष्ठता के क्रम में पदोन्नति द्वारा।	न्यूनतम अठारह वर्ष की अनुमोदित सेवा के साथ नियमित रूप से नियुक्त कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-II अधिकारी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-I

			में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के योग्य होगा।

डी.

11. कम से कम इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि उपरोक्त नियम और अनुसूचियाँ सेवा की शर्त को नियंत्रित करते हैं, जिसमें अधिकारी की जेएजी-II से जेएजी-I में पदोन्नति भी शामिल है। नियम 4 पद के लिए स्वीकृत संख्या की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत तय करता है।उपरोक्त नियमों की अनुसूची स्पष्ट रूप से जे. ए. जी.-I और जे. ए. जी.-II के लिए अलग-अलग वेतनमानों को दर्शाती है।

ई.

12. 2003 के नियमों के नियम 7 में निर्दिष्ट किया गया है कि जे. ए. जी.-I में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को केवल अनुसूची III में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता सेवा के साथ तत्काल संबंधित निम्न श्रेणी के अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। अनुसूची III में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जे. ए. जी.-I अन्य निर्धारित योग्यताओं के अधीन फीडर कैडर पद के रूप में जे. ए. जी.-II के साथ पदोन्नति का पद है।

एफ.

जी.

13. चूंकि उपरोक्त नियमों में कोई अस्पष्टता नहीं है, इसलिए हम कैट और उच्च न्यायालय के विचारों को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हैं कि जेएजी-I केवल जेएजी-II का उन्नयन है। विभेदक वेतनमान के साथ-साथ चयन की प्रक्रिया के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए पात्रता मानदंड यह निर्धारित करने के लिए कारक हैं कि कोई विशेष पद दूसरे के समान है या प्रचार के लिए।हम महसूस करते हैं कि इस तरह के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है क्योंकि

एच.

नियम स्वयं विशिष्ट हैं।जब नियम विशिष्ट और स्पष्ट होते हैं, तो व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं होती है जिससे न्यायिक विधान का मामला हो सकता है।हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन से भी सहमत हैं कि कैट का तर्क, हालांकि चुनौती नहीं दी गई है, अस्थिर है, क्योंकि दायर किए गए आवेदनों को खारिज करने के साथ इसे चुनौती देने का कोई अवसर नहीं है।

बी.

14. उच्च न्यायालय जे. ए. जी.-I के पदोन्नति पद पर उत्तरदाताओं के मामले पर विचार करने में देरी पर ध्यान देने में भी गलती कर गया। किसी भी अधिकारी को पदोन्नति पद का निहित अधिकार नहीं है, जो कानून के अनुसार विचार करने तक ही सीमित है।अजय कुमार शुक्ला और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा इस पहलू पर कानून का निपटारा किया जाता है। अरविंद राय और अन्य, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1195:

सी.

"37. इस न्यायालय ने बार-बार पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने पर बल दिया है, जैसा कि के. रामास्वामी, जे. ने निदेशक, लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में माना था।रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 में प्रवत किरण मोहंती [(1991) 2 एस. सी. सी. 295] जो नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

डी.

"4... पदोन्नति का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन एक कर्मचारी को केवल प्रासंगिक नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार है।इस दृष्टिकोण से हमारे विचार में उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि निगम द्वारा तैयार की गई श्रेणीकरण सूची संविधान के अनुच्छेद 16 सहपठित अनुच्छेद 14 के तहत प्रत्यर्थी/रिट याची के समानता के अधिकार का उल्लंघन है, और प्रत्यर्थी/रिट याची को अन्यायपूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया गया था, स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण है।"

ई.

एफ.

38. अजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य ((1999) 7 एस. सी. सी. 209) के मामले में एक संविधान पीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 (1) पर बल देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति जो योग्यता और पदोन्नति के मानदंडों को पूरा करता है, लेकिन फिर भी पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाता है, तो उसके मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन होगा।जगन्नाथ राव, जे. ने अपने और आनंद, मुख्य न्यायाधीश , वेंकटस्वामी, पटनायक, कुर्दुकर, जे. के लिए बोलते हुए पैराग्राफ 21 और 22 और 27 में निम्नानुसार कहाः"21 :अनुच्छेद 14 और 16 (1):पदोन्नति के लिए माना जाना एक मौलिक अधिकार है

जी.

एच.

22 :अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 (1) निकटता से जुड़े हुए हैं।वे व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकारों से संबंधित हैं।अनुच्छेद 14 माँग करता है कि "राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा"।अनुच्छेद 16 (1) एक सकारात्मक आदेश जारी करता है कि "राज्य के तहत किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी"।

बी.

इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 16 का खंड (1) अनुच्छेद 14 का एक पहलू है और इसकी जड़ें अनुच्छेद 14 से हैं।उक्त खंड अनुच्छेद 14 में व्यापकता को निर्दिष्ट करता है और संवैधानिक अर्थों में "राज्य के तहत किसी भी पद पर रोजगार और नियुक्ति के मामलों में अवसर की समानता" की पहचान करता है।"रोजगार" शब्द व्यापक होने के कारण, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि यह भर्ती के प्रारंभिक स्तर से ऊपर के पदों पर पदोन्नति के पहलू को अपने दायरे में लेता है।अनुच्छेद 16 (1) प्रत्येक कर्मचारी को अन्यथा पदोन्नति के लिए पात्र या जो विचार के क्षेत्र के भीतर आता है, पदोन्नति के लिए "विचार" किए जाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।यहाँ समान अवसर का अर्थ है पदोन्नति के लिए "विचार" किए जाने का अधिकार।यदि कोई व्यक्ति पात्रता और क्षेत्र मानदंडों को पूरा करता है लेकिन पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाता है, तो पदोन्नति के लिए "विचार" किए जाने के उसके मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन होगा, जो उसका व्यक्तिगत अधिकार है।

सी.

डी.

ई.

“समान अवसर पर आधारित पदोन्नति और इस तरह की पदोन्नति से जुड़ी वरिष्ठता अनुच्छेद 16 (1) के तहत मौलिक अधिकार के पहलू हैं।

XXX

XXX

XXX

एफ.

27. हमारी राय में, उपरोक्त विचार अशोक कुमार गुप्ता में व्यक्त किया गया है और जगदीश लाल और अन्य मामलों में इसका पालन किया गया है, यदि यह निर्धारित करने का इरादा है कि

कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए पदोन्नति के प्रासंगिक नियमों (यानी वरिष्ठता या योग्यता के आधार पर) के अनुसार "विचार" करने के लिए सही गारंटी केवल एक वैधानिक अधिकार है और मौलिक अधिकार नहीं है, तो हम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।हम पहले ही कह चुके हैं कि पदोन्नति के लिए "विचार" किए जाने के अधिकार के अर्थ में पदोन्नति के मामले में समान अवसर का अधिकार वास्तव में अनुच्छेद 16 (1) के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है और 1950 से अशोक कुमार गुप्ता से पहले किसी अन्य मामले में इस पर कभी संदेह नहीं किया गया है।"

जी.

एच.

774

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

15. तथ्यों पर, हम पाते हैं कि पदोन्नति इस कारण से दी जा सकती थी कि जे. ए. जी.-I के पद पर तत्कालीन पदाधिकारी का चयन सूची में होने के बावजूद आई. ए. एस. कैडर में स्थानांतरण नहीं हुआ और इस प्रकार, वे अधिसूचना की तारीख तक उक्त पद पर काम कर रहे थे।उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति विवादित नहीं है, नियम 4 की कठोरता निश्चित रूप से लागू होगी। हम नियम 4 के परंतुक को उत्तरदाताओं के मामले में सहायक नहीं पाते हैं।जे. ए. जी.-I का पद निश्चित रूप से जे. ए. जी.-II के फीडर कैडर का एक प्रचार पद है।

बी.

16. यह एक सामान्य कानून है कि एक बार जब कोई अधिकारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो जाता है, तो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच "सुनहरे हाथ मिलाने" का सहारा लेते हुए न्यायिक संबंध समाप्त हो जाते हैं।ऐसा पूर्व कर्मचारी नियमों के बिना अपने अतीत के साथ-साथ भविष्य के अधिकारों, यदि कोई हो, को उत्तेजित करने की कोशिश नहीं कर सकता है।इसमें बढ़े हुए वेतनमान को शामिल किया जाएगा।2017 की सिविल अपील No.517 में प्रत्यर्थी पर 2012 में डी. पी. सी. में उचित रूप से विचार नहीं किया गया था क्योंकि वह अब प्रासंगिक समय पर सेवा में नहीं था।उच्च न्यायालय ने एक परिपत्र पर भरोसा करने में त्रुटि की है, जिसे कोई आवेदन नहीं मिला है, विशेष रूप से हमारे निष्कर्ष के आलोक में कि हम किसी भी प्रकृति के उन्नयन के खिलाफ पदोन्नति सरलता के मामले से निपट रहे हैं।17. तथ्यों पर, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 2017 की सिविल अपील में प्रत्यर्थी को डी. पी. सी. द्वारा सफल विचार के बाद पदोन्नति दी गई थी। इस तरह की मंजूरी पर अपीलार्थी ने नियमों के अनुसार वास्तविक रिक्ति के वर्ष के साथ पदोन्नति को सही ढंग से निर्धारित किया है।इस प्रकार, प्रत्यर्थी न तो तथ्यों पर और न ही कानून पर पूर्वव्यापी पदोन्नति का दावा कर सकता है, और वह भी

वर्ष 2009 से जिसमें उसे एक काल्पनिक रिक्ति के खिलाफ चयन सूची में रखा गया था, विशेष रूप से जब तत्कालीन मौजूदा रिक्ति केवल वर्ष 2011 में अर्जित हुई थी, जब जेएजी-I अधिकारियों को वास्तव में आईएएस में शामिल किया गया था, जिसके खिलाफ उन्हें पदोन्नत किया गया था।इस प्रकार, पदोन्नति को पूर्वव्यापी रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता है और काल्पनिक रिक्ति की तारीख से लाभ और वरिष्ठता देने के लिए बढ़ाया नहीं जा सकता है, जिससे 2003 के नियमों के नियम 4 और 7 में हिंसा होती है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

18. केवल रिक्ति का अस्तित्व किसी कर्मचारी के पक्ष में पूर्वव्यापी पदोन्नति का अधिकार नहीं बनाएगा जब पदोन्नति पद में रिक्तियां नियमों के तहत विशेष रूप से निर्धारित की जाती हैं, जो चयन प्रक्रिया के माध्यम से मंजूरी को भी अनिवार्य करती हैं।यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम पदोन्नति के मामले से निपटते हैं, तो नियमों के दो अलग-अलग सेटों के बीच कभी भी समानता नहीं हो सकती है।दूसरे शब्दों में, पदोन्नति और बाद के लाभों और वरिष्ठता का अधिकार केवल उक्त पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले नियमों के संबंध में उत्पन्न होगा, न कि ए

जी.

एच.

775

भारत संघ और ए. एन. आर. बनाममनप्रित सिंह पूनम ई. टी. सी. [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

नियमों का एक अलग समूह जो एक पदोन्नत पद पर लागू हो सकता है जो आगे की पदोन्नति की सुविधा प्रदान करता है जो नियमों के एक अलग समूह द्वारा शासित होता है।वर्तमान मामले में, नियमों के अनुसार कार्य करने वाले प्राधिकरण ने डी. पी. सी. की मंजूरी के बाद 17.04.2012 पर पदोन्नति प्रदान की है, जो कि 01.07.2011 से प्रभावी है, जब वास्तविक रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं, जो किसी भी मामले में 2017 की सिविल अपील No.518 में प्रत्यर्थी को दिया गया लाभ है।हमारे विचार में, वास्तविक रिक्तियों के उत्पन्न होने की तारीख से पूर्वव्यापी पदोन्नति देने के प्राधिकरण द्वारा शक्ति का यह प्रयोग वस्तुनिष्ठ विचारों और एक वैध वर्गीकरण पर आधारित है।

बी.

19. भारत संघ बनाम के. के. वढेरा और अन्य, 1989 सप्लीमेंट (2) एस. सी. सी. 625 के मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि किसी पद पर पदोन्नति केवल पदोन्नति की तारीख से दी जानी चाहिए, न कि उस तारीख से जिस पर रिक्ति उत्पन्न हुई है, और कहा हैः

सी.

" 5....हम किसी भी कानून या किसी भी नियम के बारे में नहीं जानते हैं जिसके तहत पदोन्नति पद के निर्माण की तारीख से प्रभावी होनी है, किसी भी कारण से पद खाली होने के बाद, उस पद पर पदोन्नति पदोन्नति दिए जाने की तारीख से होनी चाहिए न कि उस तारीख से जिस दिन ऐसा पद खाली होता है।उसी तरह जब अतिरिक्त पद बनाए जाते हैं, तो उन पदों पर पदोन्नति मूल्यांकन बोर्ड की बैठक के बाद ही दी जा सकती है और पदोन्नति के लिए अपनी सिफारिशें की जा सकती हैं।यदि इसके विपरीत, पदोन्नति को अतिरिक्त पदों के सृजन की तारीख से प्रभावी होने का निर्देश दिया जाता है, तो इसका प्रभाव मूल्यांकन बोर्ड की बैठक और पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने से पहले ही पदोन्नति देने पर पड़ेगा।इन परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण के फैसले को बनाए रखना मुश्किल है।"

डी.

ई.

एफ.

20. इसी तरह, यह न्यायालय गंगा विशन गुजराती और अन्य के मामले में।राजस्थान राज्य (2019) 16 एस. सी. सी. 28 ने अभिनिर्धारित किया है किः

45. इस न्यायालय की एक सुसंगत मिसाल इस सिद्धांत का पालन करती है कि किसी कर्मचारी को उस तारीख से पूर्वव्यापी वरिष्ठता नहीं दी जा सकती है जब कर्मचारी का जन्म किसी संवर्ग में नहीं हुआ था।समान श्रेणी के सदस्यों के बीच वरिष्ठता को श्रेणी में प्रारंभिक प्रवेश की तारीख से गिना जाना चाहिए।यह सिद्धांत डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले से उभरता है।अधिकारी संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1990) 2 एस. सी. सी. 715।इस न्यायालय द्वारा बिहार राज्य बनाम अखौरी सचिंद्र नाथ, 1991 सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. मामले में इस सिद्धांत को दोहराया गया था।

जी.

एच.

334 और उत्तरांचल राज्य बनाम दिनेश कुमार शर्मा, (2007) 1 एस. सी. सी. 683।पवन प्रताप सिंह बनाम रीवन सिंह, (2011) 3 एस. सी. सी. 267 में, इस न्यायालय ने इस विषय पर पूर्वजों पर पुनर्विचार किया और कहाः(एस. सी. सी. पीपी. 281-82, पैरा 45)

"45. ... (i) चयन की प्रभावी तिथि को सेवा नियमों के संदर्भ में समझना होगा जिसके तहत नियुक्ति की जाती है।इसका अर्थ वह तिथि हो सकती है जिस दिन चयन की प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने या चयन सूची तैयार करने के तथ्य के साथ शुरू होती है, जैसा भी मामला हो।

बी.

((ii) किसी विशेष सेवा में वरिष्ठता सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए।किसी विशेष सेवा में प्रवेश की तारीख या मूल नियुक्ति की तारीख एक अधिकारी या दूसरे के बीच या अधिकारियों के एक समूह और विभिन्न स्रोतों से भर्ती किए गए दूसरे समूह के बीच वरिष्ठता तय करने के लिए सबसे सुरक्षित मानदंड है।वैधानिक नियमों, कार्यकारी निर्देशों या अन्यथा से कोई भी विचलन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।

सी.

डी.

(iii) आम तौर पर, काल्पनिक वरिष्ठता पिछली तारीख से नहीं दी जा सकती है और यदि ऐसा किया जाता है, तो यह वस्तुनिष्ठ विचारों और एक वैध वर्गीकरण पर आधारित होना चाहिए और वैधानिक नियमों के अनुसार पता लगाया जाना चाहिए।

ई.

(iv) वरिष्ठता की गणना रिक्ति होने की तारीख से नहीं की जा सकती है और इसे पूर्वव्यापी रूप से नहीं दिया जा सकता है जब तक कि यह प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है।ऐसा इसलिए है क्योंकि वरिष्ठता पूर्वव्यापी आधार पर नहीं दी जा सकती है जब कोई कर्मचारी कैडर में पैदा भी नहीं हुआ है और ऐसा करने से उन कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिन्हें इस बीच वैध रूप से नियुक्त किया गया है।"

एफ.

पी. सुधाकर राव बनाम यू. गोविंदा राव, (2013) 8 एस. सी. सी. 693 में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस विचार की पुनः पुष्टि की है।"21. उपरोक्त तर्क के लिए, हम उच्च न्यायालय के तर्क को अपनी प्रमुखता देने में असमर्थ हैं।तदनुसार, अपीलों की अनुमति दी जाती है और परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करना दिया जाता है।कोई लागत नहीं।

जी.

देविका गुजराल

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)

एच.